संख्या : 18/2015/369/छप्पन-2015-7/13

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2015

विषय : कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा विंग कमां0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 06-04-2015 से दिनांक 13-04-2015 तक अगुस्ता ए-109 ई हेलीकॉप्टर के सिमुलेटर पर इटली में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग एवं डिफरेन्शियल ट्रेनिंग कराये जाने की तिथियों को संशोधित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 1197/ना0उ0नि0/आप्स-20/2015, दिनांक 03-2-2015 के संदर्भ में शासनादेश संख्या 2198/छप्पन-2014-7/2013, दिनांक 13 फरवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या 2198(2)/छप्पन-2014-7/2013, दिनांक 13 फरवरी, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेशों के द्वारा कै0 दीपक श्रीवास्तव तथा विंग कमां0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 06-04-2015 से दिनांक 13-04-2015 तक यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए अगुस्ता वैस्टलैण्ड, इटली में क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग एवं डिफरेन्शियल ट्रेनिंग कराये जाने के लिये विदेश यात्रा की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3- प्रशिक्षणदाता फर्म अगुस्ता वैस्टलैण्ड, इटली द्वारा ई-मेल के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में अंकित तिथियों के खाली न होने के कारण अब यही ट्रेनिंग दिनांक 06-04-2015 से दिनांक 13-04-2015 में दी जायेगी। अत: राज्यपाल महोदय उक्त इंगित दोनों शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2015 में अंकित विदेश यात्रा/प्रशिक्षण की तिथियों दिनांक 06-04-2015 से दिनांक 13-04-2015 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए दिनांक 04-04-2015 से दिनांक 11-04-2015 किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त स्वीकृति के पश्चात निर्गत शासनादेश संख्या 2198/छप्पन-2014-7/2013, दिनांक 13 फरवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या 2198(2)/छप्पन-2014-7/2013, दिनांक 13 फरवरी, 2015 में अंकित तिथियां उक्तानुसार संशोधित समझी जाय तथा शासनादेशों में इंगित शर्तें/अनुबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : जी0-1-174/दस'2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 18/2015/369(2)/छप्पन-2015 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
6- सम्बन्धित अधिकारीगण।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।